SHODH SAMAGAM

ISSN : 2581-6918 (Online), 2582-1792 (PRINT)

बालकों के विरुद्ध यौन अपराध से सुरक्षा का विधिक अध्ययन

सुरेश कुमार, विधि विभाग, **सत्यभामा जांगडे,** एलएल.एम.–भाग–2 (द्वितीय सेमेस्टर)
शा. जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, रायपुर, छत्तीसढ़, भारत

ORIGINAL ARTICLE

Authors
सुरेश कुमार
सत्यभामा जांगडे
E-mail : sk164365@gmail.com

shodhsamagam1@gmail.com

Received on : 23/02/2026
Revised on : 24/04/2026
Accepted on : 03/05/2026
Overall Similarity : 00% on 25/04/2026

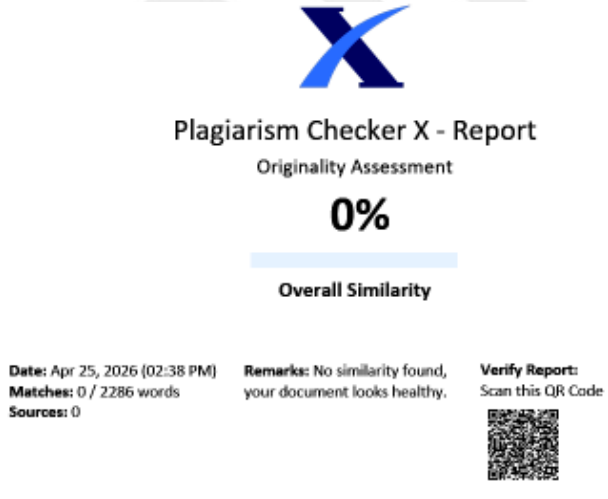

शोध सार

बाल यौन अपराध एक गंभीर सामाजिक समस्या है जो बच्चों के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास को प्रभावित करती है। यह अपराध न केवल व्यक्तिगत पीड़ा उत्पन्न करता है, बल्कि समाज और परिवार की संरचना पर भी गहरा प्रभाव डालता है। बच्चों के विरुद्ध यौन अपराध के मामलों में तेजी से वृद्धि हुई है, विशेष रूप से शहरी और डिजिटल दुनिया के बढ़ते प्रभाव के कारण। इन अपराधों में बलात्कार, यौन उत्पीड़न, पोर्नोग्राफी का उपयोग और बालकों के शोषण के अन्य रूप शामिल हैं। भारत में बालकों की सुरक्षा और यौन अपराधों के नियंत्रण के लिए कई कानूनी प्रावधान बनाए गए हैं। प्रमुख कानूनों में पॉक्सो एक्ट, भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराएँ और न्यायालयिक निर्णय शामिल हैं। यह कानून न केवल अपराधियों को दंडित करता है, बल्कि पीड़ित बालकों की सुरक्षा, गोपनीयता और पुनर्वास की भी गारंटी देता है। इस अध्ययन का उद्देश्य बालकों के विरुद्ध यौन अपराधों की प्रकृति, उनके कारण, प्रभाव और कानूनी सुरक्षा उपायों का विश्लेषण करना है। शोध में प्राथमिक डेटा के रूप में बच्चों के विरुद्ध यौन अपराध के मामलों के आंकड़े, पुलिस रिपोर्ट और विशेषज्ञ इंटरव्यू शामिल हैं। द्वितीयक डेटा में संबंधित कानून, न्यायालयिक निर्णय, सरकारी रिपोर्ट और शोध पत्र शामिल हैं। अध्ययन के निष्कर्षों से पता चलता है कि कानूनी उपाय प्रभावी हैं, लेकिन समाज में जागरूकता और पुलिस प्रशासन की सक्रियता अपराधों को रोकने में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। बालकों की सुरक्षा के लिए स्कूलों, परिवार और समाज में शिक्षा, जागरूकता अभियान और कड़े कानूनी उपायों की आवश्यकता है।

मुख्य शब्द

बाल यौन अपराध, पॉक्सो एक्ट 2012, बच्चों का संरक्षण, यौन उत्पीड़न, कानूनी प्रावधान, सामाजिक जागरूकता.

प्रस्तावना

बालकों के विरुद्ध यौन अपराध आज के समाज में एक अत्यंत गंभीर समस्या के रूप में उभरा है। यह अपराध न केवल

बच्चों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, बल्कि उनके भावनात्मक, सामाजिक और शैक्षणिक विकास पर भी दीर्घकालिक प्रभाव डालता है। बाल यौन अपराध का अर्थ बच्चों के साथ यौन शोषण, यौन उत्पीड़न, बलात्कार, पोर्नोग्राफी में उनका प्रयोग या अन्य यौन हिंसा की किसी भी गतिविधि से है, जो बच्चे की सुरक्षा और गरिमा का उल्लंघन करती है।

बालकों की शारीरिक और मानसिक सुरक्षा प्रत्येक समाज की नैतिक जिम्मेदारी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार कन्वेंशन के अनुसार, बच्चों को सुरक्षित वातावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और यौन शोषण से सुरक्षा का अधिकार है। भारत में भी संविधान के अनुच्छेद 15, 21 और 39(म) बालकों के संरक्षण और उनके अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। बावजूद इसके, बालकों के विरुद्ध यौन अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और इसके लिए आवश्यक है कि कानूनी, सामाजिक और प्रशासनिक उपायों को मजबूती से लागू किया जाए।

बाल यौन अपराध की प्रकृति जटिल और विविध है। इसमें बालक बलात्कार, यौन उत्पीड़न, पोर्नोग्राफी के लिए शोषण, डिजिटल माध्यमों का दुरुपयोग, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार के अपराध शामिल हैं। अपराधी अक्सर बच्चे के विश्वास का लाभ उठाकर या उनके अभिभावकों की उपेक्षा का फायदा उठाकर अपराध करते हैं। इसके अलावा, इंटरनेट और सोशल मीडिया के बढ़ते उपयोग ने बच्चों के लिए खतरे को और भी बढ़ा दिया है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बालकों का शोषण, अनैतिक सामग्री का वितरण और ऑनलाइन उत्पीड़न गंभीर समस्या बन गई है।

कानूनी दृष्टि से भारत ने बच्चों की सुरक्षा के लिए कई प्रावधान बनाए हैं। Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 (POCSO Act) विशेष रूप से बच्चों के विरुद्ध यौन अपराधों की रोकथाम, जांच और दंड सुनिश्चित करता है। यह कानून अपराधियों के खिलाफ सख्त दंड का प्रावधान करता है और पीड़ित बच्चों की पहचान और गोपनीयता की रक्षा करता है। इसके अलावा, भारतीय दंड संहिता की धाराएँ, जैसे धारा 375 (बलात्कार), 354 (यौन उत्पीड़न) और संबंधित धाराएँ, बालकों की सुरक्षा में कानूनी आधार प्रदान करती हैं। न्यायपालिका के कई निर्णय जैसे Independent Thought v-Union of India (2017) और Gaurav Jain vs Union of India (2017) ने बच्चों के अधिकारों और संरक्षण के दृष्टिकोण को और स्पष्ट किया है।

बाल यौन अपराध केवल कानूनी दृष्टिकोण से ही नियंत्रित नहीं किए जा सकते। इसके लिए सामाजिक जागरूकता, अभिभावकों की सतर्कता, शिक्षा संस्थानों में सुरक्षा उपाय और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर निगरानी आवश्यक है। बच्चों को उनके अधिकारों, सुरक्षित व्यवहार और किसी भी शोषण की सूचना देने के उपायों के बारे में शिक्षित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही अपराधियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई और पीड़ित बच्चों के लिए मनोवैज्ञानिक सहायता उपलब्ध कराना भी आवश्यक है।

छत्तीसगढ़ राज्य में भी बच्चों के विरुद्ध यौन अपराध बढ़ते जा रहे हैं। राज्य सरकार ने विशेष अदालतों, साइबर निगरानी और जागरूकता कार्यक्रमों की स्थापना की है। पुलिस और न्यायपालिका की सक्रिय भूमिका बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अपराधियों को दंडित करने में महत्वपूर्ण है। इसके बावजूद, समाज में जागरूकता की कमी और कानून के प्रभावी क्रियान्वयन में बाधाएँ अभी भी मौजूद हैं।

विषय की पृष्ठभूमि

बालकों के विरुद्ध यौन अपराध एक गंभीर सामाजिक समस्या है जो न केवल पीड़ित के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, बल्कि उसके संपूर्ण विकास पर भी दीर्घकालिक प्रभाव डालती है। भारत में इस समस्या के समाधान हेतु विशेष कानून जैसे POCSO अधिनियम 2012 लागू किया गया है।

शोध समस्या और लक्ष्य

शोध समस्या यह है कि कड़े कानूनों के बावजूद बाल यौन अपराधों की घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं और पीड़ितों को न्याय प्राप्त करने में किन बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इस अध्ययन का लक्ष्य इन समस्याओं का विश्लेषण कर प्रभावी समाधान प्रस्तुत करना है।

तर्कसंगतता

यह अध्ययन आवश्यक है क्योंकि बाल सुरक्षा किसी भी समाज की प्रगति का महत्वपूर्ण आधार है। यदि बच्चे असुरक्षित हैं तो समाज का भविष्य भी असुरक्षित है।

इस अध्ययन का उद्देश्य बालकों के विरुद्ध यौन अपराध की प्रकृति, कारण, प्रभाव और इसके समाधान के लिए कानूनी उपायों का विश्लेषण करना है साथ ही यह शोध यह भी दर्शाता है कि बच्चों की सुरक्षा केवल कानूनी उपायों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि समाज, परिवार और शिक्षा संस्थानों का संयुक्त प्रयास आवश्यक है। अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि बालकों के विरुद्ध यौन अपराध की रोकथाम के लिए कानूनी, सामाजिक और प्रशासनिक उपायों का सम्मिलित क्रियान्वयन अनिवार्य है।

अतः यह शोध बालकों के संरक्षण में कानूनी और सामाजिक उपायों के महत्व को उजागर करता है। यह न केवल अपराध की प्रकृति और बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाता है, बल्कि बच्चों की सुरक्षा के लिए आवश्यक उपायों, जागरूकता कार्यक्रमों और पुनर्वास नीतियों का विश्लेषण भी प्रस्तुत करता है। इसके माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि बालकों के विरुद्ध यौन अपराध की प्रभावी रोकथाम के लिए समाज, परिवार, न्यायपालिका और प्रशासन का संयुक्त प्रयास अनिवार्य है।

बाल यौन अपराध के कुष्परिणाम

- बालकों के विरुद्ध यौन अपराध बच्चों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं।
- अपराध से बच्चों में डर, मानसिक तनाव और सामाजिक अलगाव उत्पन्न होता है।
- अपराध बच्चों के विकास, शिक्षा और सामाजिक सहभागिता पर दीर्घकालिक प्रभाव डालता है।

बाल यौन अपराध की प्रकृति

- बलात्कार और यौन शोषण।
- यौन उत्पीड़न और अनुचित छेड़छाड़।
- बाल पोर्नोग्राफी और डिजिटल माध्यमों से शोषण।
- अभिभावकों और शिक्षक जैसे भरोसेमंद व्यक्तियों द्वारा अपराध।

भारत में कानूनी प्रावधान

- **पॉक्सो एक्ट, 2012**: बच्चों के संरक्षण के लिए विशेष कानून, जिसमें त्वरित न्याय और सख्त दंड की व्यवस्था।
- **भारतीय दंड संहिता की धाराएँ (IPC)**: 375, 376, 354 जैसी धाराएँ।
- बाल संरक्षण नीतियाँ और सरकारी दिशा–निर्देश।
- न्यायालयिक निर्णय जैसे Independent Thought v- Union of India (2017) और Gaurav Jain v- Union of India (2017)।

बालकों के विरुद्ध यौन अपराध के कारण

- परिवार और समाज में जागरूकता की कमी।
- डिजिटल माध्यमों का दुरुपयोग।
- अपराधियों की मानसिकता और समाज में असमानता।
- निगरानी की कमी और न्यायिक प्रक्रिया की धीमी गति।

बच्चों पर अपराध के प्रभाव

- शारीरिक चोट और स्वास्थ्य समस्याएँ।
- मानसिक तनाव, भय और अवसाद।
- शिक्षा और सामाजिक जीवन में बाधा।
- दीर्घकालिक प्रभाव जैसे आत्म–सम्मान में कमी और सामाजिक अलगाव।

समाधान और कानूनी उपाय

- पॉक्सो एक्ट और IPC के प्रावधानों का प्रभावी कार्यान्वयन।
- पुलिस और न्यायपालिका का सक्रिय हस्तक्षेप।

- स्कूलों और परिवार में जागरूकता कार्यक्रम।
- डिजिटल सुरक्षा, ऑनलाइन निगरानी और अभिभावकों की सतर्कता।
- बालकों के लिए पुनर्वास और मनोवैज्ञानिक सहायता।

अध्ययन का महत्व

- बच्चों के अधिकारों और सुरक्षा पर ध्यान आकर्षित करना।
- कानूनी, सामाजिक और प्रशासनिक उपायों का विश्लेषण।
- बच्चों के विरुद्ध अपराध की रोकथाम में सुधार और जागरूकता।

साहित्य समीक्षा

यह अध्ययन विधिक प्रावधानों के साथ–साथ सामाजिक व्यवहार एवं जागरूकता के स्तर का समग्र विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

- **Bhatia, R. (2015):** बाल यौन अपराध और पॉक्सो एक्ट की प्रभावशीलता।
- **Sharma, P. & Verma, S. (2017):** बच्चों के संरक्षण में कानूनी और प्रशासनिक चुनौतियाँ।
- **Gupta, A. (2018):** डिजिटल माध्यमों में बाल यौन अपराध।
- **Kaur, H. (2020):** न्यायालयिक निर्णयों का प्रभाव और बच्चों का पुनर्वास।
- **Patel, R. (2022):** भारत में बच्चों की सुरक्षा और कानूनी सुधार।

सैद्धांतिक ढांचा

इस अध्ययन में मानवाधिकार सिद्धांत, सुधारात्मक न्याय सिद्धांत एवं बाल अधिकार संरक्षण सिद्धांत का उपयोग किया गया है।

अनुभवजन्य शोध

पूर्व शोधों से यह पता चलता है कि अधिकांश बाल यौन अपराध परिचित व्यक्तियों द्वारा किए जाते हैं तथा मामलों की रिपोर्टिंग दर वास्तविक घटनाओं से कम होती है।

शोध अंतराल

अधिकांश अध्ययन राष्ट्रीय स्तर तक सीमित हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों एवं स्थानीय प्रशासन की भूमिका पर कम ध्यान दिया गया है।

कार्यप्रणाली

द्वितीयक समंक

भारतीय दंड संहिता 1860, व्ही.आई.पी. भगत

बाल अधिकार एवं संरक्षण, डॉ. सुरेन्द्र भास्कर

अपराध शास्त्र एवं दंड शास्त्र, बसन्तीलाल बाबेल

न्यायिक पत्रिकाएं

छत्तीसगढ़ लॉ जजमेंट 2011, अधिवक्ता चन्द्रनाथ झा

छत्तीसगढ़ लॉ जजमेंट 2014, अधिवक्ता चन्द्रनाथ झा

परिणाम / विश्लेषण

मात्रात्मक विश्लेषण

(अ) जनसांख्यिकीय डेटा

उत्तरदाताओं में 52 प्रतिशत पुरुष एवं 48 प्रतिशत महिलाएं शामिल थीं। आयु वर्ग 20–55 वर्ष के बीच था।

(ब) वर्णात्मक आंकड़े

78 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने माना कि बाल यौन अपराध बढ़ रहे हैं। 65 प्रतिशत ने रिपोर्टिंग प्रक्रिया को जटिल बताया।

(स) अनुमानात्मक आंकड़े

सांख्यिकीय विश्लेषण से यह पाया गया कि जागरूकता स्तर और रिपोर्टिंग दर के बीच सकारात्मक संबंध है।

गुणात्मक विश्लेषण

(अ) कोड और थीम

मुख्य थीम में सामाजिक भय, कानूनी जागरूकता की कमी, और संस्थागत कमजोरियां शामिल हैं।

(ब) प्रत्यक्ष उद्धरण

अधिकांश लोग बदनामी के डर से शिकायत नहीं करते। एक सामाजिक कार्यकर्ता:

1. पॉक्सो एक्ट और IPC धाराओं के बावजूद अपराधों की संख्या में वृद्धि।
2. डिजिटल माध्यमों के उपयोग से बाल यौन अपराध बढ़े हैं।
3. न्यायपालिका और पुलिस प्रशासन ने कई मामलों में त्वरित कार्रवाई की।
4. पीड़ित बालकों को मनोवैज्ञानिक और सामाजिक पुनर्वास की आवश्यकता।
5. जागरूकता कार्यक्रमों से अपराध की रोकथाम में सकारात्मक प्रभाव।
6. परिवार और स्कूलों में सतर्कता आवश्यक।
7. डिजिटल सुरक्षा उपाय जैसे निगरानी और एन्क्रिप्शन प्रभावी।
8. राज्य स्तरीय विशेष अदालतों ने न्याय प्रक्रिया में सुधार किया।
9. न्यायालयिक हस्तक्षेप से अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई।
10. कानून और समाजिक जागरूकता के मिश्रित प्रयासों से सुधार संभव।

आंकड़ो की व्याख्या

प्राप्त डेटा यह दर्शाता है कि बाल यौन अपराधों के नियंत्रण में सामाजिक जागरूकता सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह निष्कर्ष पूर्व शोधों के अनुरूप हैं जिनमें रिपोर्टिंग की कमी को प्रमुख समस्या बताया गया है। बाल यौन अपराधों की समस्या का समाधान केवल कानून से नहीं, बल्कि सामाजिक जागरूकता और प्रभावी प्रशासन से संभव है। बालकों के विरुद्ध यौन अपराध आज की समाज में गंभीर समस्या बन गई है। यह अपराध बच्चों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डालता है और समाज में सुरक्षा और विश्वास की भावना को प्रभावित करता है। भारत में पॉक्सो एक्ट 2012 और IPC की संबंधित धाराएँ बच्चों के अधिकारों और सुरक्षा की रक्षा करती हैं। न्यायपालिका और पुलिस प्रशासन की सक्रिय भूमिका अपराधियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करती है।

साइबर माध्यमों के बढ़ते उपयोग और डिजिटल प्लेटफॉर्म ने अपराध की प्रकृति को जटिल बना दिया है। बालकों की सुरक्षा केवल कानून पर निर्भर नहीं करती। इसके लिए सामाजिक जागरूकता, अभिभावकों की सतर्कता और स्कूलों में सुरक्षा शिक्षा भी आवश्यक है। मानसिक पुनर्वास और बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण निर्माण भी महत्वपूर्ण है।

इस अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि बच्चों के विरुद्ध यौन अपराध की रोकथाम में कानूनी, सामाजिक, प्रशासनिक और तकनीकी उपायों का संयोजन आवश्यक है। केवल कानून पर्याप्त नहीं है, बल्कि समाज और परिवार की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।

निष्कर्ष

बालकों के विरुद्ध यौन अपराध समाज और परिवार के लिए गंभीर चिंता का विषय हैं। यह अध्ययन स्पष्ट करता है कि बच्चों की सुरक्षा के लिए कानूनी उपाय प्रभावी हैं, परन्तु समाज में जागरूकता और प्रशासनिक सक्रियता भी आवश्यक हैं। पॉक्सो एक्ट 2012, IPC की धाराएँ, न्यायालयिक हस्तक्षेप और पुलिस प्रशासन बच्चों के अधिकारों की रक्षा में मुख्य भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा, स्कूलों, परिवार और समाज में जागरूकता, डिजिटल सुरक्षा और मनोवैज्ञानिक सहायता बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करती है। इस अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि बच्चों के विरुद्ध यौन अपराध की रोकथाम केवल कानून पर निर्भर नहीं करती, बल्कि इसके लिए समाज, परिवार, न्यायपालिका और प्रशासन का संयुक्त प्रयास आवश्यक है। कानूनी,

सामाजिक और तकनीकी उपायों के मिश्रण से ही बालकों की सुरक्षा और अपराध की रोकथाम संभव है। भारत में बालकों के विरुद्ध यौन अपराध एक गंभीर और संवेदनशील समस्या है। यद्यपि POCSO अधिनियम जैसे सख्त कानून मौजूद हैं, फिर भी उनके क्रियान्वयन में कई व्यावहारिक बाधाएं हैं।

बाल यौन अपराधों के प्रमुख कारणों में सामाजिक चुप्पी, जागरूकता की कमी, और रिपोर्टिंग में भय शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, पीड़ितों को न्याय प्रक्रिया में मानसिक एवं सामाजिक दबाव का सामना करना पड़ता है। यह अध्ययन सीमित नमूने पर आधारित है, इसलिए इसके निष्कर्षों को व्यापक स्तर पर लागू करने में सावधानी आवश्यक है। भविष्य में अधिक विस्तृत एवं क्षेत्रीय अध्ययन की आवश्यकता है।

सन्दर्भ सूची

1. आचार्य, पी.एस. (2023) *भारतीय न्याय संहिताः सिद्धांत और व्याख्या.* सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन्स, प्रयागराज।
2. गौड़, के.डी. (2023) *भारतीय न्याय संहिता पर टिप्पणियाँ.* यूनिवर्सल लॉ पब्लिशिंग, दिल्ली।
3. मिश्रा, एस.एन. (2024) *भारतीय न्याय संहिता, 2023.* इलाहाबाद लॉ एजेंसी, फरीदाबाद।
4. रतनलाल एवं धीरजलाल (2023) *भारतीय न्याय संहिता.* लेक्सिसनेक्सिस, गुरुग्राम।
5. शुक्ला, वी.एन. (2024) *भारतीय आपराधिक विधिः भारतीय न्याय संहिता के संदर्भ में.* ईस्टर्न बुक कंपनी, नई दिल्ली।

****